

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 675 / 2014

संस्थित दि: 22 / 07 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

राजेश उर्फ राजु पिता बिसनलाल पंचतिलक, उम्र 20 साल,
निवासी लच्छीटोला डोंगरिया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 09/09/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुशीला ने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में दिनांक 27.06.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि वह दिनांक 26.06.2014 को दिन के 11:00 बजे परसवाड़ा से सामान लेकर उसके गांव लच्छीटोला जा रही थी हनुमान मन्दिर के पास उसे गांव का पंचतिलक मिला और सायकिल रोक ली और, धक्का देकर सायकिल से उसे जमीन पर गिरा दिया तथा बुरी नियत से हाथ पकड़ा एवं मारपीट की और कहा रहा था कि सुशीला का बदनाम कर दूंगा यहां मिले वहां छेड़खानी करूंगा, जीने नहीं दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी राजू पंचतिलक के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 90/14 अन्तर्गत धारा 341, 323, 354, 506 भा.दं.वि. 354(ख) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 एवं 3(1)11 एस.सी./एस.टी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी राजेश उर्फ राजू पंचतिलक को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 341, 323, 354, 506 भा.दं.वि. 354(ख) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 एवं 3(1)11 एस.सी./एस.टी एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर धारा 341, 323, 354, 506 भा.दं.वि. 354(क) दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 तथा 3(1)11 एस.सी./एस.टी एक्ट

का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक **22.09.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट